Accredited by NAAC
With "B" Grade

Phone & Fax: 07592-234553
E-mail : heggcvid@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, राजमाता विजया राजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी)
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)

कमांक/निविदा/ 01 /26 विदिशा दिनांक 01/01/2026

।। निविदा आमंत्रण ।।

—00—

राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में 3 सुरक्षाकर्मियों की अस्थायी आवश्यकता है। इस हेतु शासन से पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों से निविदा प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा मोहरबंद लिफाफे में कार्यालयीन समय पर दोपहर 04 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा पत्र प्राचार्य शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा के नाम से प्रेषित किया जाये।
2. निविदा पत्र डाक या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा करें। डाक की देरी अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदाएं दिनांक 17.01.2026 को कार्यालयीन समय दोपहर 03 बजे खोली जावेंगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
4. प्राचार्य के पास किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वविवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. संबंधित एजेन्सी के सुरक्षाकर्मी महाविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों के साथ-साथ महाविद्यालय/छात्रावास की सम्पत्ति (चल/अचल) एवं परिसर की 24 घण्टे सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में कभी कमी होने के कारण महाविद्यालय को (चल/अचल) सम्पत्ति में यदि किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है तो एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति आवश्यक रूप से करनी होगी तथा संबंधित ऐजेन्सी को इस आशय का वचन पत्र संलग्न करना होगा।
6. सुरक्षा कार्य में लगाये गये कर्मियों का प्रशिक्षित एवं शिक्षित होना अनिवार्य है ।
7. सुरक्षा एजेन्सी स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, प्रोटेक्टिव गारमेंट, फोटो परिचय पत्र, सीटी, बेंत (डण्डा) एवं लायसेंसी आग्नेय अस्त्र आदि उपलब्ध करायेगी तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराएगी।
8. सुरक्षा एजेन्सी को अपने कर्मियों के लिए वाहन, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। न तो महाविद्यालय द्वारा यह सुविधा दी जावेगी एवं न इस प्रयोजन हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
9. महाविद्यालय की कोई सामग्री महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गेट पास होने पर ही बाहर जावेगी जिस पर महाविद्यालय के प्राचार्य/सक्षम अधिकारी कें हस्ताक्षर होंगे जिसका रिकार्ड गार्ड रूम में रखा जावेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा। बिना गेटपास के यदि कोई सामग्री बाहर जाती है तो इसकी जवाबदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी।
10. सुरक्षा एजेन्सी महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रति उत्तरदायी होगी एवं निर्देशानुसार कार्य करेगी।

11. सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व पुलिस विभाग से उनका चरित्र–सत्यापन करवाने का दायित्व सुरक्षा एजेन्सी का होगा। महाविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के पूर्व सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय/पुलिस थाने में कोई भी प्रकरण दर्ज नही है।
12. साप्ताहिक एवं अन्य अवकाश अथवा अन्य किसी कारण से सुरक्षा गार्डो की अनुपस्थिति की स्थिति में एजेन्सी तत्काल संबंधित सुरक्षा गार्ड के स्थान पर अन्य सुरक्षा गार्ड की वैकल्पिक तैनाती की कार्यवाही अनिवार्यतः करेगी। सुरक्षा व्यवस्था हेतु 24 घंण्टे सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सुरक्षाकर्मी पूर्ण अनुशासन में रहेगें।
13. सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। ऐजेन्सी के कर्मचारी किसी भी परिस्थितयों में अपने वेतन आदि के लिए संस्था से सीधे सम्पर्क नहीं कर सकेगें।
14. महाविद्यालय द्वारा समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
15. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्राचार्य को स्व–विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना का अधिकार होगा एवं यह सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।
16. सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में वह विफल हुई तो प्राचार्य स्व–विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना कर सकेंगे एवं सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।
17. यदि महाविद्यालय एवं सुरक्षा एजेन्सी के मध्य अनुबंध के अन्तर्गत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्राचार्य द्वारा दिया गया निर्णय सुरक्षा एजेन्सी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
18. सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्र अधिकार विदिशा न्यायालय तक ही सीमित होगा।
19. उक्त कर्मचारियों की आयु सीमा 21 से 55 वर्ष होना वाछनीय है।
20. निविदा सूचना में किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि को वाद का विषय नही बनाया जायेगा।
21. उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थाई है तथा आमंत्रित अभ्यर्थी किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना से संबंधित तथा लोक सेवक नहीं माने जायेंगे। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उन्हें हटाने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।
22. सुरक्षा प्रदाता एजेंसी द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लिए जाने की स्थिति इसका शासन के पक्ष में भुगतान चालान की प्रति महाविद्यालय के लेखाशाखा में प्रस्तुत करने पर ही अगले माह का भुगतान किया जाएगा।
23. रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी का सोना वर्जित होगा एवं सजगतापूर्ण निरंतर जागना होगा। प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण में सोए हुए पाए जाने पर ऐजेन्सी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।
24. निविदा के उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर ऐजेन्सी की सेवाएं समाप्त करने का एकाधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

01.01.26

प्राचार्य

आर.वी.एस.शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

विदिशा (म.प्र.)

Principal
R.V.S. Govt. Girls PG College
Vidisha (M.P.)